



पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

समग्र भैंस पालन योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26)



01 एवं 02 उन्नत नस्ल के दुधारु भैंस की डेयरी इकाई
के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के लिए 75% तथा
अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान की योजना



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/ahd> | <https://dairy.bihar.gov.in>

Email: directordairy@gmail.com

Phone : 94710 07445 | Toll Free : 1800 345 6681

समग्र भैंस पालन योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26)



पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार



ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए
1 एवं 2 उन्नत नस्ल के दुधारु भैंस की डेयरी इकाई स्थापित
करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर

योजना के अवयव

क्र.	अवयव	लागत मूल्य (रु० में)	विभागीय अनुदान की राशि (रु० में)	
			अत्यन्त पि. वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति	अन्य सभी वर्ग
1	1 दुधारु भैंस (मुर्दाह/ जाफराबादी/भदावरी)	1,21,000 / -	90,750 / -	60,500 / -
2	2 दुधारु भैंस (मुर्दाह/ जाफराबादी/भदावरी)	2,42,000 / -	1,81,500 / -	1,21,000 / -

योजना का उद्देश्य : योजना का लक्ष्य राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/पशुपालकों/बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है।

आवेदन हेतु कागजात : आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, जाति प्रमाण पत्र, स्वलागत के लिए योजना की पूर्ण राशि हेतु बैंक पासबुक का फोटो कॉपी।

योजना का क्रियान्वयन : योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस योजना के आवेदन पत्र गव्य विकास निदेशालय के वेबसाइट **dairy.bihar.gov.in** पर भरे जायेंगे।

आवेदकों का चयन : स्वलागत या बैंक ऋण से संबंधित प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी। इस योजना में विभाग द्वारा प्रशिक्षित आवेदकों, दुग्ध सहकारिता समिति के सदस्यों एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना के लिए लाभूकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदकों का चयन “**पहले आओ पहले पाओ**” के आधार पर किया जायेगा।

विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।